इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 जून 2023—ज्येष्ठ 12, शक 1945

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

जनसंपर्क विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2023

क्रमांक/ एफ-PRE/1/0042/2023-Sec-1-24(PRE) राज्य शासन एतद् मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-4 क्रमांक- 22 भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जून, 2007 में प्रकाशित 'मध्यप्रदेश राज्य पत्रकार अधिमान्यता नियम, 2007' एवं उनमें हुए सभी संशोधनों को अधिक्रमित करते हुए मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय, संभाग, जिला एवं तहसील स्तर, पर कार्यरत मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नानुसार नियम बनाता है:-

1. **नाम एवं कार्य क्षेत्र-**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **"मध्यप्रदेश राज्य पत्रकार अधिमान्यता नियम, 2023"** है.

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील माने जायेंगे.

(3) ये नियम उन मीडिया प्रतिनिधियों पर लागू होगें जो मध्यप्रदेश में निवास करते है, एवं उनका कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश हो.

2. **परिषाभाएं-** विषय और संदर्भ से यदि भिन्न न निकाला हो तो निम्नलिखित शब्दों को अर्थ वही है, जो उनके सामने दिया जा रहा है-

(1) 'शासन' का अर्थ मध्यप्रदेश शासन से है.

(2) 'आयुक्त/ संचालक' का तात्पर्य, आयुक्त/ संचालक, जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश से है.

(3) 'समाचार पत्र' से आशय वही है जो **'प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867'** में प्रावधानित है.

(4) 'पत्र/मीडिया प्रतिनिधि' से तात्पर्य, पत्रकार / मीडिया फोटाग्राफर / मीडिया कैमरामेन जो किसी शासकीय या अशासकीय समाचार एजेंसी, फीचर एजेंसी, समाचार फोटो एजेंसी, समाचार-पत्र, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, दूरदर्शन, टेलीविजन चैनल, न्यूज बेवपोर्टल का प्रतिनिधित्व करते हों.

(5) 'राज्य स्तरीय' / 'संभाग स्तरीय' अधिमान्यता समिति का अर्थ उस समिति से है, जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा इन नियमों के अनुरूप मीडिया/पत्र प्रतिनिधियों को अधिमान्यता देने के प्रकरणों में अनुशंसा प्रदान करने के लिए गठित की गई हो.

(6) 'दैनिक समाचार-पत्र' से आशय जो **'प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867'** में परिभाषित है तथा उसका प्रकाशन सप्ताह में कम से कम पांच दिन होना आवश्यक है.

(7) 'वर्किंग जर्नलिस्ट' का आशय वही है जो **'वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर इम्पलाइज कंडीशन ऑफ सर्विस एवं मिसलेनियस प्रॉविजन एक्ट 1955'** में परिभाषित है.

3. **अधिमान्यता का स्तर-**

(1) इन नियमों के अधीन विभिन्न अर्हताओं को पूरा करने वाले पत्र/मीडिया प्रतिनिधियों को **राज्य, जिला एवं तहसील स्तर** की अधिमान्यता प्रदान की जा सकेगी.

(2) मीडिया प्रतिनिधि को मध्यप्रदेश के उन्हीं जिले/ तहसील से अधिमान्यता की पात्रता होगी, जहॉ समाचार पत्र प्रकाशित/ प्रसारित होता है अथवा मीडिया प्रतिनिधि वहां कार्यरत है.

(3) अधिमान्यता के स्तर के अनुरूप अधिमान्यता कार्ड भी पृथक-पृथक स्वरूप में जारी किये जायेगें.

4. **अधिमान्यता समितियां-** राज्य शासन द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों को इन नियमों के अधीन अधिमान्यता प्रदान करने की अनुशंसा के लिए 01 राज्य एवं 10 संभागीय स्तरीय अधिमान्यता समितियां गठित की जायेंगी:-

(1) राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति-

I. राज्य स्तरीय अधिमान्यता के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को इस समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा.

II. इस समिति में 35 मीडिया प्रतिनिधि सदस्य होगें, जिनमें कम से कम तीन प्रतिनिधि इलेक्ट्रानिक मीडिया के क्षेत्र से होगें तथा आयुक्त/ संचालक जनसंपर्क अथवा उनके द्वारा नामांकित अपर संचालक इस समिति के सचिव/ सदस्य होगें.

III. इस समिति की बैठक सामान्यत: प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जायेगी.

IV. समिति की बैठकों के संचालन के लिए कम से कम 11 सदस्यों (कुल सदस्यों का एक तिहाई) की गणपूर्ति आवश्यक होगी. गणपूर्ति के अभाव में एक बार बैठक स्थगित होने के पश्चात, बिना गणपूर्ति के भी आयोजित की जा सकेगी.

(2) संभागीय अधिमान्यता समितियां-

I. जिला/ तहसील स्तरीय अधिमान्यता के लिए प्राप्त आवेदनों को संभागीय अधिमान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा.

II. जिला/ तहसील स्तरीय अधिमान्यता के लिए संभागीय समितियां - जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, सागर, नर्मदापुरम, उज्जैन, रीवा, शहडोल, चंबल-मुरैना में गठित की जायेगी.

III. इस समिति में 15 मीडिया प्रतिनिधि सदस्य होगें तथा संभागीय जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी अधिकारी सचिव/सदस्य होगें.

IV. इस समिति की बैठके सामान्यतः प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जायेगी.

V. इस समिति की बैठकों के संचालन के लिए कम से कम 5 सदस्यों की (कुल सदस्यों का एक तिहाई) गणपूर्ति आवश्यक होगी. गणपूर्ति के अभाव में एक बार बैठक स्थागित होने के पश्चात, बिना गणपूर्ति के भी आयोजित की जा सकेगी.

(3) **समितियों का कार्यकाल-** नियम 4 (1) व 4 (2) अनुसार गठित राज्य स्तरीय / संभागीय स्तरीय अधिमान्यता समितियों का कार्यकाल निम्नानुसार होगा-

I. इन समितियों का कार्यकाल इनके गठन की सूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक के लिए होगा.

II. वर्तमान समिति का कार्यकाल पूर्ण होने पर, नई समिति के गठन तक वर्तमान समिति अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकेगी.

III. इन समितियों के कार्यकाल में आवश्यकतानुसार अधिकतम 6 माह की वृद्धि की जा सकेगी.

IV. समिति की बैठकों के अन्तराल में आयुक्त/ संचालक जनसंपर्क को निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले मीडिया प्रतिनिधियों को

अधिमान्यता प्रदान करने का पूर्ण अधिकार रहेगा। इसकी पुष्टि समिति की आगामी बैठक में करायी जायेगी.

5. **राज्य स्तरीय/ स्वतंत्र पत्रकार/ जिला/ तहसील स्तरीय अधिमान्यता के लिए व्यक्तिगत सामान्य/ विशिष्ट अर्हताएं-**

(1) राज्य/जिला/तहसील स्तरीय अधिमान्यता-

I. मीडिया प्रतिनिधि/ आवेदक पूर्णकालिक पत्रकार/ फोटोग्राफर/ कैमरामेन होना चाहिए.

II. राज्य स्तरीय अधिमान्यता के लिए न्यूनतम 10 वर्ष, जिला स्तरीय अधिमान्यता के लिये 5 वर्ष एवं तहसील स्तरीय अधिमान्यता के लिए 3 वर्ष की पत्रकारिता का अनुभव होना अनिवार्य है.

III. राज्य/ जिला स्तरीय अधिमान्यता के लिए मीडिया प्रतिनिधि की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक या समकक्ष स्तर की मान्य की जावेगी.

IV. तहसील स्तरीय अधिमान्यता के लिए मीडिया प्रतिनिधि की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल या समकक्ष स्तर की मान्य की जावेगी.

V. मीडिया प्रतिनिधि को अधिमान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में कार्यकारी **संस्था/ समाचार-पत्र के संपादक/ संचार माध्यम के समाचार प्रमुख** द्वारा जारी अनुशंसा पत्र एवं नियुक्ति पत्र होना चाहिए.

VI. संबंधित मीडिया संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए.

VII. राज्य/ जिला/ तहसील स्तरीय अधिमान्यता के लिये संबंधित संभागीय/जिला जनसंपर्क कार्यालय की अनुशंसा संलग्न करना आवश्यक होगा। स्वतंत्र पत्रकारों को इससे छूट रहेगी.

(2) स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिमान्यता-

I. संचार माध्यमों के ऐसे मीडिया प्रतिनिधि स्वतंत्र पत्रकार के रूप में आवेदन कर सकेंगे जो कम से कम 50 वर्ष की आयु एवं 20 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हो तथा जिन्हें पूर्व में भी अधिमान्यता रही हो।

II. सेवानिवृत्त मीडिया प्रतिनिधि को सेवानिवृत्ति के बाद भी सक्रिय पत्रकार होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

III. स्वतंत्र पत्रकार के लिए आवेदक/ मीडिया प्रतिनिधि के विगत एक वर्ष में 24, प्रत्येक माह औसतन दो समाचार/ आलेख/ फीचर प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होना अनिवार्य होगा।

IV. स्वतंत्र पत्रकार के लिए अधिमान्यता नवीनीकरण के लिए नियम 5 (2) III अनुसार पात्रता रहना आवश्यक होगा। किन्तु 62 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर अधिमान्यता नवीनीकरण के लिए यह अनिवार्यता नहीं होगी.

V. समाचार- पत्र संस्थान में कार्यरत पत्रकारों को स्वतंत्र पत्रकार के रूप में सामान्यत: अधिमान्यता नहीं दी जायेगी। विशेष प्रकरण में समिति इस संबंध में विचार कर सकेगी.

(3) दिल्ली मीडिया प्रतिनिधि विशेष अधिमान्यता (केवल मध्यप्रदेश के दिल्ली में पदस्थ/कार्यरत प्रतिनिधियों के लिये)-

I. मध्यप्रदेश से प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के दिल्ली में पदस्थ मीडिया प्रतिनिधि/ संवाददाताओं को अधिमान्यता की पात्रता होगी।

II. मीडिया प्रतिनिधि/ संवाददाताओं का पत्रकारिता के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

III. संचार प्रतिनिधि की दिल्ली में संबंद्धता (बीट) मध्यप्रदेश होना आवश्यक है.

IV. अर्हता पूर्ण करने वाले समाचार-पत्र के केवल एक संवाददाता और इलेक्ट्रानिक मीडिया के एक संवाददाता एवं कैमरामेन को ही दिल्ली में अधिमान्यता की पात्रता होगी.

V. दिल्ली में क्रियाशील संचार माध्यम प्रतिनिध को संचालक/ आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश सूचना केन्द्र नई दिल्ली के प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा पर अधिमान्यता दी जा सकेगी.

VI. दिल्ली मीडिया प्रतिनिधि **विशेष** अधिमान्यता के लिए संबंधित समाचार-पत्र की **मध्यप्रदेश** में प्रसार संख्या कम से कम 50 हजार होना चाहिए.

VII. दैनिक समाचार पत्र का न्यूनतम आकार-स्टैंडर्ड 12-पृष्ठ 8-कॉलम होना चाहिए.

VIII. समाचार पत्रों की प्रसार संख्या के लिये आर.एन.आई/सी.ए./ए.बी.सी. के प्रमाण पत्र को आधार माना जायेगा।

IX. अधिमान्यता के लिए (इलेक्ट्रानिक मीडिया) संचार माध्यम का प्रसार क्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होना आवश्यक है।

(4) जनसंपर्क विभाग के अधीन शासकीय संस्थानों के सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों को अधिमान्यता - जनसंपर्क विभाग के अधीन सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों जिनका पत्रकारिता के क्षेत्र में बीस वर्ष से अधिक योगदान हो को स्वतंत्र पत्रकार के रूप में राज्य स्तरीय अधिमान्यता दी जा सकेगी।

6. अधिमान्यता प्रक्रिया -

(1) मीडिया प्रतिनिधियों को राज्य/ जिला एवं तहसील स्तरीय अधिमान्यता के लिये विभाग की अधिकृत वेबसाइट https://www.mpinfo.org/ पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा. **(जनसंपर्क संचालनालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रारूप अनुसार)**

(2) मीडिया प्रतिनिधि द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रस्तुत वांछित/ जानकारी प्रमाण पत्र संबंधित **समाचार पत्र/ संचार माध्यम/ समाचार अभिकरण के समाचार प्रमुख** द्वारा प्रमाणित होना चाहिए.

(3) अधिमान्यता के लिए आवेदन-पत्र का पूर्ण परीक्षण कर पात्रता होने पर संबंधित मीडिया प्रतिनिधि का पुलिस सत्यापन कराया जायेगा.

(4) सामान्यत: नवीन अधिमान्यता के प्रकरणों में प्रथमत: जिला/तहसील स्तरीय अधिमान्यता पात्रतानुसार स्वीकृत की जायेगी।

(5) जिला/ तहसील स्तरीय अधिमान्यता विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति को होगा।

(6) जनसंपर्क विभाग द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों को दो वर्ष की अवधि के लिए अधिमान्यता प्रदान की जायेगी. अधिमान्यता स्वरूप जनसंपर्क विभाग द्वारा नियम 3 (3) अनुसार कार्ड प्रदान किये जायेगें।

(7) अधिमान्यता अवधि समाप्त होने अथवा नियम 8 के अधीन अधिमान्यता निरस्त होने पर अधिमान्यता कार्ड संबंधित जनसंपर्क कार्यालय को लौटाया जाना आवश्यक होगा।

(8) किसी भी परिस्थिति में अधिमान्यता कार्ड हस्तांतरणीय नही होगा।

7. मीडिया संस्थानों के अधिमान्यता मानदंड एवं कोटा-

(1) **दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार पत्र -** दैनिक समाचार पत्रों के एक वर्ष में न्यूनतम 350 अंक एवं साप्ताहिक समाचार पत्रों के एक वर्ष न्यूनम 45 अंको का प्रकाशन होना चाहिए-

I. **<u>दैनिक समाचार पत्र</u>** - राज्य स्तरीय अधिमान्यता के लिए दैनिक समाचार पत्र का न्यूनतम आकार 1520 वर्ग सेंटीमीटर प्रति पृष्ठ एवं कुल पृष्ठों की संख्या 8 होना चाहिए.

II. जिला स्तरीय अधिमान्यता के लिये दैनिक समाचार पत्र का आकार 1520 वर्ग सेंटीमीटर प्रति पृष्ठ एवं कुल पृष्ठों की संख्या 4 होना चाहिए.

III. राज्य के दैनिक समाचार पत्रों के अधिमान्यता मानदंड एवं कोटा-

क्र	आकार एवं पृष्ठ संख्या	प्रसार संख्या	राज्य स्तरीय अधिमान्यता के लिए मीडिया प्रतिनिधियों की संख्या	जिला स्तरीय अधिमान्यता के लिए मीडिया प्रतिनिधियों की संख्या
1.	**1520 वर्ग सेंटीमीटर प्रति पृष्ठ कुल 8 पृष्ठ न्यूनतम**	**10 हजार से 25 हज़ार तक**	**04**	**प्रकाशन स्थल पर 04 ,एवं प्रसार के अन्य जिलों में 01-01**
2.	**1520 वर्ग सेंटीमीटर प्रति पृष्ठ कुल 8 पृष्ठ**	**25 हजार से 50 हज़ार तक**	**08**	**प्रकाशन स्थल पर 08, प्रसार के अन्य जिलों में 01-01**
3.	**तदैव**	**50 हज़ार से ऊपर**	10	**प्रकाशन स्थल पर 10, प्रसार के अन्य जिलों में 01-01**
4.	**कुल स्टैंडर्ड 12 पृष्ठ, 1520 वर्ग सेंटीमीटर प्रति पृष्ठ**	**50 हज़ार से ऊपर**	15	**प्रकाशन स्थल पर 18, प्रसार के अन्य जिलों में 02-02**

IV. राज्य के बाहर के दैनिक समाचार पत्र के लिए न्यूनतम प्रमाणित प्रसार संख्या 50 हज़ार होने पर पूर्णकालिक स्टाफ/ मीडिया प्रतिनिधियों को राजधानी में एक राज्य स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी.

V. राज्य के बाहर के 50 हज़ार से अधिक प्रसार संख्या के दैनिक समाचार-पत्रों के जिला मुख्यालय पर पदस्थ स्टॉफ/ मीडिया प्रतिनिधि तथा अंशकालीन संवाददाताओं को अधिकतम दस की संख्या में जिला स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी। राज्य स्तरीय समिति इसका अंतिम निर्णय करेगी.

VI. राज्य के बाहर निकटवर्ती/सीमावर्ती संभागों/केन्द्रों आदि से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार-पत्रों की प्रसार संख्या 20 हज़ार से अधिक होने पर उन्हें जिला स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी ।

VII. टेबुलाइड आकार में प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र के लिए अधिमान्यता के कोटे का निर्धारण बड़े आकार के समाचार-पत्र के कालम सेंटीमीटर के आधार पर किया जायेगा।

VIII. <u>साप्ताहिक समाचार पत्रों के अधिमान्यता मानदंड एवं कोटा</u> -

क्र.	आकार एवं पृष्ठ संख्या	प्रसार संख्या	राज्य स्तरीय अधिमान्यता के लिए प्रतिनिधियों की संख्या	जिला स्तरीय अधिमान्यता के लिए प्रतिनिधियों की संख्या
1	टेबुलाइट आकार के 8 पृष्ठ	10 हजार से अधिक		1 केवल प्रकाशन

	प्रति पृष्ठ 925 वर्गसेमी.			स्थल पर
2	टेबुलाइट आकार के 16 पृष्ठ प्रति पृष्ठ 925 वर्गसेमी.	10 हजार से अधिक	1	
3	टेबुलाइट आकार के 16 पृष्ठ प्रति पृष्ठ 925 वर्गसेमी.	25 हजार से 50 हजार तक **(डी.ए.व्ही.पी/ आर.एन.आई. प्रमाण पत्र आवश्यक)**	2	2
4	16 पृष्ठ और अधिक या 2800 वर्गसेमी प्रतिपृष्ठ विशिष्ट श्रेणी के साप्ताहिक समाचार पत्र	50 हजार 1 से अधिक **(डी.ए.व्ही.पी/ आर.एन.आई. प्रमाण पत्र आवश्यक)**	04 संवाददाता एवं 2 फोटाग्राफर (कुल 6)	6

IX. प्रसार संख्या की पुष्टि के लिये संबंधित संस्थान से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सकेगी

X. **अधिमान्यता के लिये निर्धारित प्रसार संख्या तथा मुद्रित आकार के मापदडों में निम्नलिखित प्रकरणों में शिथिलता दी जा सकेगी -**

- विज्ञान एवं तकनीकी जैसे विशिष्ट विषयों पर प्रकाशित दैनिक साप्ताहिक समाचार-पत्र.
- ऊर्दू या संस्कृत में प्रकाशित दैनिक/ साप्ताहिक समाचार-पत्र.
- आदिवासी क्षेत्र/ स्थानीय बोलियों में प्रकाशित दैनिक/ साप्ताहिक समाचार-पत्र.

XI. समाचार पत्रों के लिए निर्धारित उपरोक्त मापदंडों के अतिरिक्त विशेष प्रकरणों में आयुक्त / संचालक जनसंपर्क को कोटे से अधिक अधिमान्यता स्वीकृत करने के पूर्ण अधिकार होगें.

(2) अभिकरण/ दूरदर्शन/ आकाशवाणी -

I. ऐसे समाचार अभिकरण /एजेंसी/फीचर जिनसे न्यूनतम 20 दैनिक सामाचार पत्र सशुल्क सेवाएं प्राप्त करते हो, जिनमें कम से कम 10 समाचार पत्र **मध्यप्रदेश** के हो अधिमान्यता की प्रदान की जा सकेगी.

II. नियम 7(2)I अनुसार मानदंड वाले समाचार अभिकरण के **अधिकतम चार** मीडिया प्रतिनिधि को राज्य स्तरीय अधिमान्यता एवं **प्रत्येक संभागीय/ जिला मुख्यालयों पर अधिकतम एक** मीडिया प्रतिनिधि को जिला स्तरीय अधिमान्यता प्रदान की जा सकेगी।

III. सभागीय/ जिला मुख्यालयों पर पदस्थ आकाशवाणी/ दूरदर्शन के अंशकालीन संवाददाताओं को **प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय अधिमान्यता दी जा सकेगी.**

(3) इलेक्ट्रानिक मीडिया/ टेलीविजन समाचार चैनल

I. स्वयं की समाचार सेवाएँ प्रसारित करने वाले राष्ट्रीय अशासकीय टेलीविज़न चैनल के पूर्णकालिक स्टॉफ/संवाददाता तथा कैमरामेन को राजधानी में 2 राज्य स्तरीय, 2 जिला स्तरीय एवं प्रत्येक जिले में एक संवाददाता और एक कैमरामेन को (कुल 2) जिला स्तरीय

अधिमान्यता प्रदान की जा सकेगी। नियम 5(1) के अनुसार तहसील स्तरीय अधिमान्यता भी दी जा सकेगी.

II. स्वयं की समाचार सेवाएं प्रसारित करने वाले प्रादेशिक समाचार टेलीविजन चैनल के पूर्णकालिक स्टॉफ/संवाददाता तथा कैमरामेन को राजधानी में 7 राज्य स्तरीय एवं 8 जिला स्तरीय एवं प्रत्येक जिले में एक संवाददाता और एक कैमरामेन को (कुल 2) जिला स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी.

(4) न्यूज बेवसाइट / न्यूज पोर्टल -

I. मध्यप्रदेश के मूल निवासियों द्वारा संचालित वेबसाइट से अधिमान्यता दी जायेगी.

II. वेबसाइट का जनसंपर्क संचालनालय/डी.ए.वी.पी. की विज्ञापन सूची में इम्पेनल होना चाहिए.

III. आवेदन दिनांक की स्थिति में वेबसाइट का डोमेन कम से कम तीन वर्ष पुराना होना चाहिए.

IV. आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ एवं पिछले 6 माह का गूगल एनालिटिक्स यूनिक यूजरं काउंट का सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है.

V. यूनिक यूजर की गणना के लिये 6 माह का औसत आधार लिया जाएगा । वेबसाइट को वेबसाइट ऑडिटर द्वारा प्रमाणित विगत 6 माह की औसत मासिक यूज़र काउंट की रिपोर्ट जनसंपर्क विभाग में जमा कराना होगा.

VI. यूनिक यूज़र 5000 प्रति माह पर 01 जिला स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी.

VII. यूनिक यूज़र 50 हज़ार प्रति माह पर वेबसाइट के मुख्यालय/संचालन स्थल पर 01 राज्य एवं 01 जिला स्तरीय अधिमान्यता की पात्रता होगी.

VIII. यूनिक यूज़र 50 हज़ार के बाद प्रति माह 50 हज़ार यूनिक यूजर संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त 01 राज्य और 01 जिला स्तरीय अधिमान्यता दी जा सकेगी.

IX. एक न्यूज वेबसाइट/ न्यूज पोर्टल से (राज्य एवं जिला स्तरीय अधिमान्यता सहित) अधिकतम 10 मीडिया प्रतिनिधियों को अधिमान्यता प्रदान की जा सकेगी.

8. **अधिमान्यता निरस्त** - निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किसी मीडिया प्रतिनिधि/ संबंधित संस्था की अधिमान्यता को निरस्त करने का अधिकार आयुक्त/ संचालक जनसंपर्क को होगा-

(1) पूर्णकालिक या अंशकालिक श्रमजीवी पत्रकार न रहने पर अधिमान्यता निरस्त की जा सकेगी.

(2) अधिमान्यता केवल पत्रकारिता संबंधी कार्यो के लिए दी जाती है, अतः अधिमान्य मीडिया प्रतिनिधि को 'मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अधिमान्यता प्राप्त' शब्द का प्रयोग अपने विज़िटिंग कार्ड, लेटर हेड या अन्य किसी मुद्रित रूप में निजी/ व्यावसायिक कार्य के लिए नहीं करना चाहिए.

(3) मीडिया प्रतिनिधि पर एफ.आई.आर दर्ज होने, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता, संदिग्ध आचरण होने पर, न्यायालय में आपराधिक प्रकरण का अभियोग पत्र दाखिल होने पर या न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराये जाने पर अधिमान्यता निरस्त की जा सकेगी।

(4) नियम 8 (3) के अधीन अधिमान्यता निरस्त होने के उपरांत यदि संबंधित मीडिया प्रतिनिधि को मान. न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जाता है तो उसको अधिमान्यता के लिए नियमानुसार पुनः आवेदन किया जाना होगा.

(5) अनैतिक, अव्यावसायिक, असम्मानजनक ढंग से पत्रकारिता करने पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाकर अधिमान्यता निरस्त की जा सकेगी.

(6) अधिमान्य पत्रकार को जिस संस्था के प्रतिनिधि के रूप में अधिमान्यता प्राप्त है, उसका प्रकाशन बंद हो जाता है अथवा उसका नेटवर्क कार्य करना बंद करता है, उस स्थिति में उसकी अधिमान्यता स्वयंमेव निरस्त मानी जायेगी तथापि यदि औद्योगिक विवाद या प्राकृतिक आपदा के कारण किसी पत्र का प्रकाशन अवरूद्ध होता है अथवा नेटवर्क कार्य नहीं करता है, उस स्थिति में इस नियम से छूट होगी। तथापि इसकी अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(7) यदि यह पाया जाता है कि अधिमान्यता के लिये आवेदक या उसकी संस्था ने असत्य/अपूर्ण/भ्रामक जानकारी दी है, उस स्थिति में उसकी अधिमान्यता निरस्त करने का अधिकार आयुक्त/ संचालक जनसंपर्क को होगा और संबंधित प्रतिनिधि/संस्था को अधिकतम दो वर्ष और न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए अधिमान्यता हेतु अनर्ह किया जा सकेगा।

(8) अधिमान्य पत्रकार की संबंधित समाचार-पत्र/ संस्था द्वारा **'प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867'** के उपबंधों का पालन अनिवार्य होगा। इसका उल्लघन पाये जाने पर उस समाचार-पत्र/संस्था से संबंधित मीडिया प्रतिनिधियों की अधिमान्यता निरस्त करने का अधिकार आयुक्त/ संचालक जनसंपर्क को होगा।

9. विविध-

(1) **संस्थान परिवर्तन-** आयुक्त/ संचालक को ऐसे अधिमान्यता प्रकरणों में अधिमान्यता स्थानांतरण का अधिकार होगा जिमसें मीडिया प्रतिनिधि एक संस्थान/ समाचार-पत्र को छोडकॅर दूसरे ऐसे समाचार-पत्र /सस्थान में चले गये हों, जिनके प्रतिनिधियों को नियमों के अनुरूप पात्रतानुसार अधिमान्यता प्रदान की जा सकेगी.

(2) अधिमान्य संवाददाता अथवा कैमरामेन के बदले में किसी दूसरे अर्ह संवाददाता अथवा कैमरामेन को अधिमान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात अधिमान्यता देने पर, निवृत्तमान संवाददाता अथवा कैमरामेन द्वारा अधिमान्यता कार्ड जनसंपर्क कार्यालय में जमा कराने के पश्चात ही विचार किया जा सकेगा।

(3) समाचार-पत्र की प्रसार संख्या, न्यूज चैनलों की टीआरपी और वेबसाइट के हिट्स के लिये विज्ञापन नियम/ न्यूज वेबसाइड/ न्यूज पोर्टल के विज्ञापन आदेश के प्रावधान लागू होंगें।

10.व्याख्या/ अनुवाद/-

(1) **"मध्यप्रदेश राज्य पत्रकार अधिमान्यता नियम, 2023"** के किसी भी प्रावधान के स्पष्टीकरण एवं व्याख्या के लिए आयुक्त जनसंपर्क को अधिकृत माना जाएगा।

(2) इन नियमों अंतर्गत अधिमान्यता के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त/ संचालक जनसंपर्क का निर्णय अंतिम होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एल. चौधरी, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2023.